

दल-बदल विरोधी कानून

दल-बदल विरोधी कानून

दल-बदल विरोधी कानून संसद/विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है।



उत्पत्ति का कारण

- 1967 के आम चुनावों के बाद, विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े जाने के कारण कई राज्यों की सरकारों का गिरना

संवैधानिक प्रावधान

- 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून; 52वें संशोधन (1985) के माध्यम से जोड़ा गया

अयोग्यता/निरहता के आधार

- स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग करना
- राजनीतिक दल के निर्देशों की अवज्ञा करना
- चुनाव के बाद दल बदलना
- एक मनोनीत सदस्य का विधायक बनने की तिथि से छह माह बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना।

अपवाद

- लोकसभा/राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी
- एक सदस्य जो विलय के कारण पार्टी छोड़ता है (2/3 सदस्यों द्वारा सहमति)

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने कानून की नज़र में वैधता के लिये यह अनिवार्य किया कि किसी दल के कम-से-कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में होने चाहिये।

निर्णय लेने का प्राधिकार

- सदन के अध्यक्ष/सभापति के पास
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्डू और अन्य वाद (1992) - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे निर्णय लोकसभा/राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करते हैं लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं

लाभ

- किसी दल के साथ संबंधों में बदलाव को सीमित करने से अधिक स्थिरता
- दल के प्रति उम्मीदवारों की निष्ठा सुनिश्चित करता है
- विलय द्वारा राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक पुनर्गठन को सुगम बनाता है
- राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है

मुद्दे

- व्यक्तिगत बनाम सामूहिक दल-बदल के बीच अतार्किक भेद
- विधायिका के बाहर सांसदों/विधायकों की गतिविधियों के लिये उनके निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं
- लोकसभा/राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्रवाई के लिये अस्पष्ट समय-सीमा
- 91वाँ संशोधन पार्टी में 'विभाजन' को नहीं बल्कि केवल 'विलय' को मान्यता देता है

सुझाव

- सर्वोच्च न्यायालय ने दल-बदल संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिये एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया
- दूसरी ARC रिपोर्ट ने निर्णय लेने की शक्ति को उच्च न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग को हस्तांतरित करने की सिफारिश की
- पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ADL के दायरे को उन स्थितियों तक सीमित रखने का सुझाव दिया, जिनसे सरकार में विश्वास की हानि हो सकती है

